

दावा अन्तर्गत धारा 53,88 आर.टी.ए. बाबत खाता तकररीम एवं घोषणा
डिक्री

दिनांक :- 25/05/26

वादीगण की ओर से श्री ध्रुव गोदारा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री मुकेश कुमार अधिवक्ता, व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि की घोषणा की जाकर निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

क. वादी सं. 1 सुखदेव सिंह व वादी सं. 2 सुखदीप सिंह, प्रतिवादी सं. 1 गुरचरण सिंह को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि-

चक नं.	खाता सं.	प.नं.	किला नं.	तादादी
3 एलकेएस	25/24	18/275 (1)	14, 15, 16, 17, 24, 25	की कुल 1.391 हैक्.
		19/275 (2)	20 ता 25	की कुल 1.518 हैक्.

3
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

इस प्रकार दोनो पत्थरो की कुल 2.909 हैक. नहरी खातेदारी कृषि भूमि मे से वादी सं. 1 सुखदेव सिंह 1.432 हैक., वादी सं. 2 सुखदीप सिंह को प.न. 19/275 के किला नं. 25 की 0.253 हैक., प्रतिवादी सं. 1 गुरचरण सिंह को 1.224 हैक. नहरी खातेदारी कृषि भूमि

ख. वादी सं. 2 सुखदीप सिंह को घरु बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि: -

चक नं.	खाता सं.	प.नं.	किला नं.	तादादी
3 एलकेएस	140/15	18/277 (15)	15/1, 16/1, 16/2, 25	की .569 है.
3 एलकेएस		18/278 (28)	3 ता 8, 13 ता 15, 17/2	की 2.391 है.

ग. वादी सं. 2 सुखदीप सिंह व वादी सं. 3 मनजीत कौर को घरु बंटवारा में प्राप्त भूमि-

चक नं. 3 एलकेएस खाता संख्या 121/44 प.न. 18/278 (28) किला नं. 16, 17/1 21 ता 25 कृषि 1.657 हैक. उपरोक्त कुल 1.657 हैक. कृषि भूमि मे से वादी सं. 2 सुखदीप सिंह को 1.192 हैक. व वादीया सं. 3 मनजीत कौर को 0.465 हैक. अ.क. खातेदारी कृषि भूमि

घ. वादी सं. 1 सुखदेव सिंह व वादी सं. 2 सुखदीप सिंह को घरु बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि-

चक नं.	खाता सं.	प.नं.	किला नं.	तादादी
3 एलकेएस	122/43	19/275 (2)	6 ता 19	2.757 हैक.

उपरोक्त कुल 2.757 हैक. कृषि भूमि मे से किला नं. 6, 15 की कुल 0.329 हैक. वादीगण सं. 1 व 2 को ब.हि.ब., किला नं. 16 की 0.253 हैक. वादी सं. 2 सुखदीप सिंह तथा शेष 2.175 हैक. कृषि भूमि वादी सं. 1 सुखदेव सिंह

ड. वादी सं. 1 सुखदेव सिंह व वादीया सं. 3 मनजीत कौर को घरु बंटवारा में प्राप्त भूमि:-

चक नं.	खाता सं.	प.नं.	किला नं.	तादादी
3 एलकेएस	29/29	18/275 (1)	13, 18 ता 23	1.353

सुखदेव सिंह को व प.न. 19/278 (27) किला न. 6, 9, 10 की कुल 0.759 हैक. वादीया सं. 3 मनजीत कौर

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25/05/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



3
(सुमा मित्तल आर ए एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा